HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 8148/2019

Ramsahai S/o Sh. Meva Ram R/o Gram Sirima, Police Station Lalsot, Tehsil Lalsot, District Dausa, Raj.

----Complainant-Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp.
2. Mojiram S/o Sh. Munna Ram, R/o Village Sirima, Police Station Lalsot, District Dausa.
3. Ramjilal S/o Sh. Devi Lal, R/o Village Sirima, Police Station Lalsot, District Dausa.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Shri Asgar Khan through VC
For Respondent(s)	:	Shri Ramesh Choudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE SATISH KUMAR SHARMA

Order

26/08/2020

याची–परिवादी की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यह याचिका निगरानी न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, लालसोट जिला दौसा द्वारा दाण्डिक निगरानी संख्या–49/2018 रामसहाय बनाम राजस्थान राज्य वगैरा में पारित आदेश दिनांकित 04.12.2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है,

जिसके द्वारा उन्होंने निगरानी खारिज करते हुए विचारण न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–01, लालसोट जिला दौसा द्वारा परिवादी की नाराजगी याचिका खारिज कर पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. को स्वीकार करने के आदेश दिनांक 31.07.2018 की पुष्टि की है।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता याची–परिवादी की दलीलें हैं कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्तगण पर जबरन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने, परिवादी के साथ मारपीट करने तथा उसकी जमीन को जबरन जोतने एवं डोली के तार चोरी कर ले जाने के साफ आरोप हैं। पुलिस ने गलत तरीके से एफ.आर. पेश कर दी है। परिवादी की प्रोटेस्ट पिटीशन एवं उसके समर्थन में करवाये गये बयानों से अभियुक्तगण के खिलाफ मारपीट, चोरी व उसके खेत में अतिक्रमण के आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित हैं इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज करते हुए एफ.आर. स्वीकार कर ली है एवं निगरानी न्यायालय ने भी सही तरीके से विचार नहीं कर निगरानी खारिज कर दी है। याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

विद्वान लोक अभियोजक ने उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की।

धारा 397(3) एवं 399(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार निगरानी में पारित आदेश अन्तिम रहता है और उसके खिलाफ निगराकार का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। इस मामले में भी याची–परिवादी ने अपनी निगरानी खारिज होने के आदेश से व्यथित होकर यह याचिका प्रस्तुत की है लिहाजा सर्वप्रथम तो प्रस्तुत याचिका पोषणीय नहीं है, फिर भी प्रस्तुत याचिका के

निस्तारण के संदर्भ में इतना ही उल्लेख किया जाना पर्याप्त है कि अभियुक्तगण के खिलाफ तभी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जब एफ.आर. में अंकित आधारों की रोशनी में प्रोटेस्ट पिटीशन पर लेखबद्ध की गई साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त अभियुक्तगण के खिलाफ कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पाये जायें। इस मामले में याची–परिवादी ने अभियुक्तगण पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, लेकिन कथित मारपीट के संबंध में कोई इलाज की पर्ची अथवा चोट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। दोनों पक्षों के मध्य रूपयों के लेनदेन का विवाद विद्यमान रहा है। परिवादी के खेत से तार चोरी करने की कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस तरह विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज कर एफ.आर. स्वीकार करने में कोई गलती नहीं की है। इसी प्रकार विद्वान निगरानी न्यायालय ने भी परिवादी के समस्त आधारों पर विचार करते हुए निगरानी खारिज करने में कोई अवैधता नहीं बरती है। परिणामतः प्रस्तुत याचिका एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(SATISH KUMAR SHARMA),J

Pradeep Thawani /159